192

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1175—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02—05—2015 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 225/अपील/2012—13.

.....

1—रामदुलारी बेवा स्व0 श्री राजबहादुर सिंह
2—दीपक सिंह पुत्र स्व0 श्री राजबहादुर सिंह
3—अतुल सिंह पुत्र स्व0 श्री राजबहादुर सिंह
निवासीगण ग्राम करही तहसील रामपुर
बाघेलान जिला सतना म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1—गणेश प्रताप सिंह पुत्र अयोध्या सिंह बघेल
2—विजय बहादुर सिंह पुत्र लल्लासिंह बघेल
3—अनुराग सिंह पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह
4—विजया देवी पत्नी स्व0 श्री विरेन्द्र सिंह
5—दिलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री विरेन्द्र सिंह
6—धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री लल्ला सिंह
7—शिवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह
8—रंगबहादुर सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह बघेल
निवासीगण ग्राम करही तहसील रामपुर
बाघेलान जिला सतना म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0 एस0 चौहान अभिभाषक, अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 31/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–05–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 गणेश प्रताप सिंह तनय अयोध्या सिंह निवासी ग्राम करही तहसील रामपुर बघेलान द्वारा ग्राम करही की नामांतरण पंजी कमांक 168 आदेश दिनांक 4.4.1978 के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में प्रस्तुत की, अपील के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम 1963 आवेदन भी प्रस्तुत किया। धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन दिनांक 2.5.15 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम करही में स्थित भूमि खसरा कमांक 701 रकवा 0.14 डिसमिल आराजी न0 702 रकवा 1.18 डिसमिल कुल किता 2 कुल रकवा 1.32 एकड़ भूमि अनावेदक कमांक–1 द्वारा पूरे होशहबाश व रजामंदी से दिनांक 5.2.1978 को रूपये 85/– में आवेदिका कमांक 1 के पति व आवेदक कमांक 2 व 3 के पिता को अपना हिस्सा 0.70 डिसमिल का विकय किया गया था तथा उक्त आराजी का कब्जा दखल केता को सोंपा गया था, तब से आज दिनांक तक आवेदकगण का कब्जा निरंतर चला आ रहा है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदक कमांक–1 द्वारा विकयपत्र के आधार पर दिनांक 4.4.1978 को राजस्व निरीक्षक वृत्त सज्जनपुर के समक्ष अपनी रजामंदी व सहमति देकर नामांतरण पंजी में अपने हस्ताक्षर किये गये व नामांतरण करा दिया गया। नामांतरण आदेश का अमल राजस्व अभिलेखों खसरा बी–1 में हो गया हैं इसकी समस्त जानकारी अनावेदक कमांक–1 को आदेश दिनांक से निरंतर रही है । अनावेदक

कमांक–1 द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 4.4.1978 के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के समक्ष 35 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई जो अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचार किये बगैर जो आदेश पारित किया गया है वह अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अनावेदकगण प्रकरण में हितबद्व पक्षकार नहीं है ओर न ही व्यथित पक्षकार ऐसी स्थिति में उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी। इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपनी अपील में धारा–5 के आवेदन पत्र में यह आधारलिया है कि उन्हें उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 2.4.13 को उस समय हुई जब वह खेत में फसल काटने गया जबकि वास्तविकाता यह है कि अनावेदक कमांक 1 पढ़ा लिखा एवं जागरूक व्यक्ति है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का अंतिरिम आदेश दिनांक 2.5.15 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदक को दिनांक 2.4.13 को जानकारी प्राप्त हुई उसके पश्चात उसके द्वारा दिनांक 17.4.13 को नकल प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन विधि प्रावधानों से होने के कारण स्वीकार किया गया है जो उचित एवं सही है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 2.5.15 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र में अनावेदक द्वारा दिनांक 2.4.13 को जानकारी होना लेख किया गया है तथा अनावेदक को नामांतरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 17.4.2013 को प्राप्त हुई है। अनावेदक को अपने

भूमिस्वामित्व की भूमि का बिना जानकारी दिये नामांतरण किये जाने का आधार बनाकर अपील अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा अपने अंतिरिम आदेश में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया था कि अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का विक्रय आवेदकगण के पक्ष में कभी किया ही नहीं गया, इस कारण आलोच्य आदेश की जानकारी न होना स्वभाविक है। इन समस्त परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना का आदेश दिनांक 2.5.15 उचित प्रतीत होता है। वैसे भी **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मॉफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0सी0 1353 से अनुसरित।** अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान के न्यायालय में गुण दोष पर निराकरण हेतु दिनांक 15.5.15 नियत थी। वहां पर उभयपक्ष को अपना साक्ष्य को अवसर प्राप्त है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 225/अपील/2012–13 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 2.5.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर